भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1162
उत्तर देने की तारीख: 27.07.2022

लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय

1162 **श्रीमती फूलो देवी नेतमः**
श्री मुजीबुल्ला खानः
श्री अखिलेश प्रसाद सिंहः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालयों वाले स्कूलों की प्रतिशतता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में दावा किया है कि 97 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने दावा किया था कि वर्ष 2015 में 100 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय थे;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का वर्तमान दावा झूठा है; और

(च) यदि हाँ, तो इन आंकड़ों में अंतर के क्या कारण हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) पिछले पांच वर्षों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालयों वाले स्कूलों के प्रतिशत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) से (च) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2014 को की गई घोषणा के प्रत्युत्तर में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों में एक वर्ष के भीतर लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराने हेतु स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई) शुरू की थी। इस पहल के तहत, शौचालयों की उपलब्धता में अंतरालों को पूरा किया गया और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 2,61,400 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1.91 लाख बालिका शौचालयों सहित 4,17,796 शौचालयों का निर्माण/पुनर्निर्माण पूरा किया गया।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा शुरू की है। समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने, और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पेयजल और शौचालय सहित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और संवर्धन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

प्रत्येक वर्ष, संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर स्कूल की अवसंरचना को मजबूत बनाने सहित विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए समग्र शिक्षा के तहत

वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) तैयार किया जाता है। इन योजनाओं/अनुमानों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों, बजटीय संसाधनों की उपलब्धता और वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति के अनुसार शिक्षा मंत्रालय में परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा मूल्यांकित और अनुमोदित किया जाता है।

समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 4.28 लाख लड़कों के शौचालय, लड़कियों के 5.52 लाख अलग शौचालय और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए 1.64 लाख शौचालयों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। जिनमें से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 30.06.2022 तक 3.94 लाख लड़कों के शौचालय, लड़कियों के 5.26 लाख अलग शौचालय और सीडब्ल्यूएसएन के लिए 1.43 लाख शौचालयों के निर्माण की सूचना दी है।

*****

अनुलग्नक

'लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय' के संबंध में माननीय संसद सदस्यों, श्रीमती फूलो देवी नेतम, श्री मुजीबुल्ला खान, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा दिनांक 27.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1162 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालयों वाले स्कूलों के प्रतिशत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

*लड़कों के शौचालय की गणना केवल लड़कों और सह-शिक्षा विद्यालय के लिए की जाती है एवं लड़कियों के शौचालय की गणना केवल

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		लड़कों के शौचालय	लड़कियों के शौचालय	लड़कों के शौचालय	लड़कियों के शौचालय	लड़कों के शौचालय	लड़कियों के शौचालय	लड़कों के शौचालय	लड़कियों के शौचालय	लड़कों के शौचालय	लड़कियों के शौचालय
1.	अंडमान और निकोबार	100.0	100.0	100.0	100.0	98.8	99.7	99.1	100.0	99.1	100.0
2.	आंध्र प्रदेश	99.6	99.7	80.7	97.2	88.8	97.2	82.3	93.5	82.2	93.4
3.	अरुणाचल प्रदेश	94.8	95.6	94.2	94.8	69.7	68.1	86.6	87.1	89.7	85.1
4.	असम	93.6	97.2	91.7	96.8	85.4	86.7	92.2	96.5	93.9	97.0
5.	बिहार	87.9	89.4	89.1	90.9	97.7	97.8	97.7	98.3	97.5	98.2
6.	चंडीगढ़	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
7.	छत्तीसगढ़	99.3	99.4	95.6	96.0	98.8	99.1	93.6	96.9	97.8	99.2
8.	दादर और नगर हवेली	100.0	100.0	100.0	100.0	92.3	94.3	99.7	99.7	100.0	100.0
9.	दमन और दीव	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	100.0		
10.	दिल्ली	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
11.	गोवा	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
12.	गुजरात	99.9	99.9	99.7	99.8	99.6	99.5	99.4	99.7	99.0	99.4
13.	हरियाणा	98.7	99.3	98.5	99.1	97.1	97.8	98.2	98.2	97.9	97.8
14.	हिमाचल प्रदेश	100.0	100.0	99.7	99.9	97.2	97.9	97.9	98.7	98.5	99.0
15.	जम्मू और कश्मीर	94.4	96.3	93.3	95.9	86.3	87.1	85.7	87.1	86.3	87.7
16.	झारखंड	99.3	99.3	99.0	99.2	98.5	98.9	98.7	99.4	98.6	99.3
17.	कर्नाटक	97.1	98.5	96.1	97.4	93.1	96.4	98.5	99.5	95.9	98.5
18.	केरल	98.8	99.5	99.4	99.7	98.0	98.6	98.1	99.1	98.2	98.9
19.	लक्षद्वीप	100.0	100.0	100.0	100.0	97.8	100.0	93.3	90.8	95.7	91.6
20.	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0
21.	मध्य प्रदेश	95.1	96.1	95.9	96.8	98.3	98.7	96.6	97.5	97.1	98.2
22.	महाराष्ट्र	97.8	98.6	97.2	98.2	93.8	96.0	94.0	96.1	95.0	96.9
23.	मणिपुर	99.6	99.5	97.6	97.4	76.0	74.4	83.4	81.0	86.8	84.5
24.	मेघालय	97.8	94.8	97.7	94.1	78.8	72.7	88.6	81.7	91.0	84.1
25.	मिजोरम	98.6	99.0	97.8	98.1	85.6	84.8	94.9	92.6	95.2	93.0
26.	नगालैंड	99.7	97.4	97.1	95.7	89.5	88.7	92.6	92.1	92.2	92.0
27.	ओडिशा	97.5	99.3	97.2	99.2	97.1	98.8	99.0	99.1	99.4	99.5
28.	पुदुचेरी	100.0	100.0	99.5	99.8	99.2	98.5	99.7	100.0	100.0	100.0
29.	पंजाब	99.4	99.8	95.3	97.9	96.3	97.3	100.0	100.0	100.0	100.0
30.	राजस्थान	99.1	99.2	98.9	99.1	90.1	89.8	95.5	96.6	99.9	97.4
31.	सिक्किम	99.5	99.5	99.8	100.0	98.1	99.9	99.1	99.6	99.5	99.7
32.	तमिलनाडु	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	98.8	98.1	99.6	98.2	99.7
33.	तेलंगाना	95.1	98.0	91.1	96.9	87.4	95.0	88.8	95.9	77.0	88.7
34.	त्रिपुरा	100.0	100.0	99.7	99.6	89.1	88.7	92.2	91.0	93.0	91.5
35.	उत्तर प्रदेश	99.6	99.7	99.1	99.4	96.9	96.9	98.0	98.3	97.6	98.2
36.	उत्तराखंड	96.8	96.3	95.1	95.3	94.3	94.4	94.2	94.2	93.9	94.3
37.	पश्चिम बंगाल	99.6	99.9	99.7	99.8	99.8	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0
	भारत	**97.3**	**98.1**	**96.0**	**97.7**	**95.1**	**96.2**	**95.8**	**97.4**	**96.0**	**97.5**

लड़कियों और सह-शिक्षा विद्यालयों के लिए की जाती है

यूडाइज़+ 2020-21 (अनंतिम)